कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ—226007
(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या :.../सम्ब.अनु./2023

दिनांक :. ....

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय ज्ञाप

सूच्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन द्वारा सहयुक्त महाविद्यालयों में **बी0एड0 पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता** के निस्तारण हेतु **10 मई की** अन्तिम तिथि पूर्व से निर्धारित है।

अतः लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त (लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी) महाविद्यालयों में पूर्व से संचालित ऐसे बी0एड0 पाठ्यक्रमों जिनकी सम्बद्धता/सहयुक्तता 30 जून, 2024 को समाप्त होने जा रही है, को निर्देशित किया जाता है कि— **"आगामी शिक्षण सत्र 2024—25 से स्थायी सहयुक्तता हेतु स्थलीय निरीक्षण आख्या/सुसंगत प्रस्ताव प्रत्येक दशा में 28.02.2024 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में सत्र 2024—25 से बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।"**

स्थलीय निरीक्षण मण्डल नामित किये जाने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय के खाते में ऑन लाइन **"lufees.in"** पर दिये गये लिंक के माध्यम से निर्धारित शुल्क रू0 35400/—(30000+18प्रतिशत जी.एस.टी.) जमा कर उसकी रसीद की प्रति एवं पूर्व में प्राप्त सम्बद्धता/सहयुक्तता के पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

यदि किसी महाविद्यालय में नवीन बी0एड0 पाठ्यक्रम की सहयुक्तता प्रार्थित की जानी हो तो उससे सम्बन्धित कार्यवाही भी [illegible] पूर्ण कर आख्या दिनांक 28.02.2024 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : AF-28223-26 दिनांक : 19/12/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्धक, समस्त सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालय (लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी) को अनुपालनार्थ।
3. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई—मेल पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. सहायक कुलसचिव (सम्ब.)।
5. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

Website
email
20/12/2023